



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी ;



वन परिसर कण्डोलिया, पौड़ी गढ़वाल

Mobile No- +91 7452856872 E-Mail dfocsp@Gmail.com, dfocsgarh-forest-uk@nic.in

उत्तराखण्ड वन्यजीव हेल्पलाइन नम्बर - 18008909715 (Toll Free)

पत्रांक :- 1204 / 12-1 , पौड़ी, दिनांक, 13/04 / 2026
सेवा में

अधिशायी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
श्रीनगर।

विषय :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकास खण्ड खिरसू में गवाणा मोटर मार्ग के किमी0 4.00 से सुराड़ी गांव तक निर्माण कार्य हेतु 2.25 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन (FP/UK/ROAD/18605/2016)

सन्दर्भ :- इस कार्यालय की पत्र संख्या--1248/12--1 दिनांक--07--03--2018 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या--8B/UCP/06/154/2016/FC/1488 दिनांक 06.12.2017 द्वारा प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति के 05 वर्ष से अधिक अवधि का समय व्यतीत होने पर सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या--01 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित धनराशि उत्तरांचल कैम्पा कोष देहरादून के खाते में जमा की जायेगी। वर्तमान में क्षतिपूरक वनीकरण की दरों में परिवर्तन के फलस्वरूप, डिमाण्ड नोट में उल्लिखित देयताओं के सम्बन्ध में निम्नानुसार संशोधित डिमाण्ड नोट प्रेषित किया जा रहा है--

- **शर्त संख्या--01--** प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक क--1191/3--5--2 (FC) दिनांक 26--03--2025 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025--26 हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु धनराशि का विवरण :-

आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल	--	2.25 है0
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगुनी भूमि	--	2.25 x 2 = 4.50 है0
पूर्व में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति है0	--	₹ 2,78,665.00
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि	--	4.50 x 2,78,665.00 = ₹ 12,53,993.00
वर्तमान में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति है0	--	₹ 5,43,037.00
वर्तमान में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि	--	4.50 x 5,43,037.00 = ₹ 24,43,666.00
अतिरिक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि	--	24,43,666.00 - 12,53,993.00
		= ₹ 11,89,673.00

(ग्यारह लाख उनब्बे हजार छः सौ तिहत्तर रू0)

भवदीय

(पवन नेगी)

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी।

A5-III / Amcan

20/04/26